मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-2

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 23 जुलाई, 2007 (श्रावण 1, 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रपति निर्वाचन पर बधाई एवं शुभकामनाएं

अध्यक्ष महोदय ने श्रीमती प्रतिभा पाटील को देश के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने पर अपनी तथा सदन की ओर से बधाई तथा शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर श्री शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री, श्रीमती जमुना देवी नेता प्रतिपक्ष, डॉ. नरोत्तम मिश्रा संसदीय कार्य मंत्री, सदस्यगण सर्वश्री उमाशंकर गुप्ता, बंशमणि प्रसाद वर्मा तथा रामलखन शर्मा ने भी बधाई दी तथा शुभकामनाएं व्यक्त की।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा तथा श्रीमती सरोज बच्चन नायक सदस्य द्वारा प्रश्न संख्या 10 (क्रमांक 871) प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले में शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 56 तारांकित तथा 89 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267- क के अधीन विषय

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने जिला चिकित्सालय सतना में बहुमूल्य चिकित्सीय उपकरणों का उपयोग न किये जाने,

(2) श्री दरबू सिंह उईके, सदस्य ने हरदा जिले में वन विभाग द्वारा पेड़ों की अवैध रूप से कटाई की जाने,

(3) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले के चम्बल क्वारी नदी के पास नहर की शाखा पर मण्डी निधि से बनाई गई सड़क अपूर्ण होने,

(4) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य ने प्रदेश में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा कृषि विज्ञान मेलों का आयोजन नहीं किये जाने,

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले में सिंथेटिक एवं मिलावटी दूध की विक्री होने,

(6) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य ने सीधी जिले के चौराडांड आश्रम में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को विद्यालय से जबरन निकाले जाने तथा

(7) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के विकास खण्ड हनुमना में गुरुजियों को वेतन न दिये जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

4. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेश पटल पर रखे :-

(1) न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 3 सन् 2007),

(2) मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 4 सन् 2007); तथा

(3) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 5 सन् 2007).

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 ; तथा

(ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006,

(2) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001,

(3) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री गृह ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2004-2005,

पटल पर रखे।

6. फरवरी-अप्रैल, 2007 सत्र की शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी-अप्रैल, 2007 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

7. फरवरी-अप्रैल, 2007 सत्र में नियम 267-क के अधीन पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन फरवरी-अप्रैल, 2007 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उन पर शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

8. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित बारह विधेयकों में से एक को महामहिम राष्ट्रपति महोदय तथा ग्यारह को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। जिनका विवरण निम्नलिखित है :-

राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006 (क्रमांक 27 सन् 2006) (अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2007)

राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2007 (क्रमांक 3 सन् 2007) (अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2007)

(2) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 9 सन् 2007) (अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2007)

(3) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 10 सन् 2007) (अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2007)

(4) मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 1 सन् 2007) (अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2007)

(5) मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 14 सन् 2007) (अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2007)

(6) मध्यप्रदेश गौ-सेवा आयोग विधेयक, 2007 (क्रमांक 16 सन् 2007) (अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2007)

(7) मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन संशोधन विधेयक, 2007 (क्रमांक 11 सन् 2007) (अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2007)

(8) महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान विधेयक, 2007 (क्रमांक 12 सन् 2007) (अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2007)

(9) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 8 सन् 2007) (अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2007)

(10) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) (अधिनियम क्रमांक 17 सन् 2007)

(11) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 7 सन् 2007) (अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2007)

9. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 18 जुलाई, 2007 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	विधेयक/चर्चा	आवंटित समय
(1)	दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007	30 मिनिट
(2)	मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) विधेयक, 2007	1 घन्टा
(3)	वर्ष 2007-08 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	2 घन्टे
(4)	प्रदेश में नकली खाद, बीज वितरण से कृषि उत्पादन में कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, सर्वश्री सत्यदेव कटारे, सज्जन सिंह वर्मा तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की नियम-139 के अधीन सूचना	1 घण्टा 30 मिनिट

(5) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2001-2002, 2002-2003, एवं 2003-2004 पर चर्चा — 2 घण्टे 30 मिनिट

(6) मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 पर चर्चा — 2 घण्टे 30 मिनिट

(7) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 पर चर्चा — 2 घण्टे 30 मिनिट

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयक एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशे पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृत देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री आरिफ अकील, रामनिवास रावत, सदस्य ने भोपाल जिले के पिपलानी थाना अंतर्गत डकैतों द्वारा एक परिवार को घायल कर लूट-पाट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भी इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा उनकी ध्यानाकर्षण सूचना पर शासन से और जानकारी दिलाने की मांग करते हुए विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के वन क्षेत्रों में खनिज का अवैध उत्खनन होने की ओर राज्य मंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने इस पर वक्तव्य दिया।

11. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-9 के उप नियम (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्रीमती सुधा जैन
(2) श्री लाल सिंह आर्य
(3) श्री ज्ञान सिंह
(4) श्री इन्द्रजीत कुमार
(5) श्री सत्यदेव कटारे
(6) श्री कृष्ण कुमार सिंह (भंवर साहब)

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले के -

(क) श्योपुर तहसील के खतौली मार्ग से ग्राम टर्राकला तक पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम उदौतपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कराये जाने,
(ग) ग्राम पंचायत राघवपुरा की बस्ती में विद्युतीकरण कराये जाने; तथा
(घ) ग्राम पंडोला में पंचायत कार्यालय से सरस्वती शिशु मंदिर तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले के -

(क) ग्राम पक्कापुरा में कटाव रोकने हेतु पक्की दीवार बनाये जाने,
(ख) बघपुरा से महूखेड़ा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(ग) ग्राम रामपुर से छन्ते के पुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(घ) ग्राम पक्कापुरा से ऐसाह तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(ङ) ग्राम कोकसिंह के पुरा से बहरारा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(च) ग्राम बरोली से भैंसरोली के बीच नहर पर पुलिया बनाये जाने,
(छ) ग्राम खण्डोली में उप-स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनाये जाने,
(ज) ग्राम नन्दपुरा में आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन बनाये जाने,
(झ) ग्राम विष्ड़वा के नाले पर अनुसूचित जाति बस्ती में पुलिया का निर्माण कराये जाने,
(ञ) ग्राम गौंसपुर के माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराये जाने,
(ट) तुस्सीपुरा शाला मंदिर पर हैण्ड पम्प खनन कराये जाने,
(ठ) ग्राम सुमावली में विश्राम गृह का निर्माण कराये जाने; तथा
(ड) ग्राम हंसराज के पुरा को प्रधानमंत्री सड़क योजना में जोड़े जाने,

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के -

(क) तहसील लहार में तहसील भवन एवं ए.डी.जे. कोर्ट का निर्माण कराये जाने,

(ख) भाण्डेर मार्ग से रूरई, आलमपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(ग) ग्राम रावतपुरा, जैतपुरा मंड़ी मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(घ) लहार में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि आवंटित कराये जाने,

(ङ) भाण्डेर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने; तथा

(च) आलमपुर एवं लहार में होम्योपैथिक औषधालय के भवन का निर्माण कराये जाने,

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, सदस्य ने रीवा जिले के -

(क) राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक-7 पर किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने; तथा

(ख) रीवा नगर के आवासहीनों को राजीव गांधी आश्रय योजना का लाभ दिये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की।

13. लोक लेखा तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त एक-एक स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3) तथा नियम 223-क के उप नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2007-2008 की शेष अवधि के लिये लोक लेखा समिति में रिक्त एक स्थान तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त एक स्थान की पूर्ति के लिये अपने में से क्रमश: एक-एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि :-

लोक लेखा तथा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समितियों में रिक्त एक-एक स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 24 जुलाई, 2007 को अपराह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।
2. नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच बुधवार, दिनांक 25 जुलाई, 2007 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा स्थित समिति कक्ष क्रमांक-6 में होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरुवार, दिनांक 26 जुलाई, 2007 को अपराह्न 3.00 बजे तक दी जा सकती है।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा।
5. निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 15 सन् 2007) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(2) श्री तुकोजीराव पवार, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा ने मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) विधेयक, 2007 (क्रमांक 16 सन् 2007) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

15. नियम-139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में नकली खाद, बीज वितरण से कृषि उत्पादन में कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री सत्यदेव कटारे, सज्जन सिंह वर्मा तथा डॉ. गोविन्द सिंह सदस्यगण द्वारा उठाई गई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सत्यदेव कटारे

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री सज्जन सिंह वर्मा

(3) डॉ. गोविन्द सिंह **(भाषण अपूर्ण)**

(चर्चा अपूर्ण)

(1.00 बजे से 2.36 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(श्रीमती जमुना देवी नेता प्रतिपक्ष, सदस्यगण सर्वश्री श्री सज्जन सिंह वर्मा तथा सत्यदेव कटारे ने धार जिले की कुक्षी तहसील में साम्प्रदायिक दंगा होने के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित किया तथा शासन से वक्तव्य देने की मांग की गई। साथ ही, उनके द्वारा निर्वाचन क्षेत्र स्थित घटना स्थल पर जाने संबंधी सूचना भी सदन को दी गई)

16. नियम-139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमशः)

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(4) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(5) श्री शंकरलाल तिवारी

(6) श्री दुर्गालाल विजय
(7) श्री रामलखन शर्मा
(8) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी
(9) श्री बृजेन्द्र तिवारी

17. मुख्यमंत्री का वक्तव्य

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत ओंकारेश्वर जलाशय में 189 मीटर जल स्तर भरने तथा विद्युत उत्पादन के संबंध में वक्तव्य दिया।

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

18. नियम-139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमशः)

(10) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(11) श्री जालम सिंह पटेल
(12) श्री इन्द्रजीत कुमार
(13) श्री बाबूलाल महाजन
(14) श्री बहादुर सिंह चौहान
(15) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(16) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा

(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 4.56 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 24 जुलाई, 2007 (श्रावण 2, 1929) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.